न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 208 / 2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
शाखा कार्यालय:– आदर्श नगर, अजमेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....**प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)**

बनाम

(1). श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा,
निवासी:– 1214, पटेल कॉलोनी, माखुपुरा, वार्ड नं0 39, तहसील व जिला अजमेर।
(2). श्रीमत सोनू शर्मा पत्नि श्री मुकेश शर्मा,
निवासी:– 52, इन्द्रा नगर, कल्याणीपुरा, तहसील व जिला अजमेर हाल खसरा नम्बर 586 का भाग, प्लॉट नम्बर 17 ग्राम परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर।
(3). श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री किशनलाल,
निवासी:– 1214, पटेल कॉलोनी, माखुपुरा, वार्ड नं0 39, तहसील व जिला अजमेर।
(4). श्रीमती शोभा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण शर्मा,
निवासी:–1214, पटेल कॉलोनी, माखुपुरा, वार्ड नं0 39, तहसील व जिला अजमेर।
(5). श्री पवन शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा,
निवासी:– 58, पटेल कॉलोनी, माखुपुरा, वार्ड नं0 39 तहसील व जिला अजमेर।
(6). श्री नेमीचंद पुत्र श्री रामकरण मीणा,
निवासी:– पुलिस स्टेशन आदर्श नगर, अजमेर

.....**अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 02.12.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 लगायत 05 को दिनांक 22.10.2013 को रू 5,00,000 / – (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम परबतपुरा, तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा नं0 586 का भाग प्लॉट नं0 17, क्षैत्रफल 201.38 वर्ग गज, जो श्रीमती शोभा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण व श्रीमती सोनू शर्मा पुत्री श्री बाबूलाल शर्मा ने जरिये पंजीकृत विकयपत्र श्री साबूदीन पुत्र श्री समदा जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम हटुण्डी तहसील व जिला अजमेर से कय किया गया जिसके विकयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय 2 अजमेर में दिनांक 02.03.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 136 में पृष्ठ संख्या 98 कम संख्या 2009001025 पर पंजीबद्व किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 542 के पृष्ठ संख्या 1 जिल्द संख्या 542 के पृष्ठ संख्या 379 से 389 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –आम रास्ता 30 फुट चौडा, पश्चिम –प्लॉट नम्बर 18, उत्तर–आम रास्ता 30 फुट चौडा, दक्षिण –प्लॉट नम्बर 16, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.10.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–4,00,587 (अक्षरे चार लाख पांच सौ सत्यासी रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम परबतपुरा, तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा नं0 586 का भाग प्लॉट नं0 17, क्षैत्रफल 201.38 वर्ग गज, जो श्रीमती शोभा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण व श्रीमती सोनू शर्मा पुत्री श्री बाबूलाल शर्मा ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र श्री साबूदीन पुत्र श्री समदा जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम हटुण्डी तहसील व जिला अजमेर से क्रय किया गया जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय 2 अजमेर में दिनांक 02.03.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 136 में पृष्ठ संख्या 98 क्रम संख्या 2009001025 पर पंजीबद्व किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 542 के पृष्ठ संख्या 1 जिल्द संख्या 542 के पृष्ठ संख्या 379 से 389 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –आम रास्ता 30 फुट चौडा, पश्चिम –प्लॉट नम्बर 18, उत्तर–आम रास्ता 30 फुट चौडा, दक्षिण –प्लॉट नम्बर 16, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner